

27/12/20
 वादी अधिवक्ता
 ने तलबी प्रा. पत्र पेश कर निवेदन
 किया कि वादी अब वाद को नहीं
 चलाना चाहते हैं जिससे फ़ावली
 सिंगह से तलब कर आज ही कार्यवाही
 किये जाने का आदेश कर माँगे।
 तलबी प्रा. पत्र पेश होने से फ़ावली
 तलब की गयी। वादीया कमला
 उपस्थित। वादीया इस वादपत्र को
 नहीं चलाना चाहती जिस बाबत
 प्रा. पत्र पेश किया जो स्वीकार
 किया गया। वादीया की पहचान
 उनके अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार
 द्वारा की गई। वादी द्वारा उल्लूक
 वाद इसी तरह पर विद्वै (व्यारिज)
 किया जाता है। फ़ावली फ़ैल्लु-
 शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[Signature]